ग्राम पंचायत अलोह, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 **प्रस्तावना :-**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत अलोह , विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

1	श्री सोहन सिंह	23-1-2011 से 22-1-2016
2	श्री जगत राम	23-12016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री हरनाम सिंह	1-4-2014 से लगातार

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत अलोह के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	**पैरा सं०**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि** (लाखों मे) **₹**
1	7	गृहकर की लम्बित वसूली	0.03
2	8	अनुदान का उपयोग न करना	5.61
3	11	**मूल्यांकन (Assessment)** के बिना भुगतान करना	1.21

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत अलोह, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि

4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10-10-2017 से 17-10-2017 तक ग्राम पंचायत अलोह में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	2/2015	9/2014
2015-16	8/2015	10/2015
2016-17	7/2016	2/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I **सचिव ग्राम** पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत अलोह, विकास खण्ड परागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 53 /2017 दिनांक 17-10-2017 **द्वारा** अनुरोध किया गया |

4 वितीय स्थितिः-

ग्राम पंचायत अलोह **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) **स्व स्त्रौत :-**ग्राम पंचायत अलोह के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	130308	47765	178073	14329	163744
2015-16	163744	40026	203770	13314	190456
2016-17	190456	66523	256979	13582	243397

(2) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत अलोह के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष

2014-15	215068	1208632	1423700	790331	633369
2015-16	633369	704893	1338262	867331	470931
2016-17	470931	1496250	1967181	1406017	561164

5 **बैंक समाधान विवरणी :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत अलोह के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को रोकड़ वही तथा बैंक खातों में जमा राशि का अंतर ₹9350 था जिसका समाधान विवरण परिशिष्ट (2) पर सलंग्न है|

1 रोकड़ वहि खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष 243397

2 रोकड़ वहि खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष 561164

योग 804561

अन्तशेष का विवरण:- दिनांक 31-03-2017 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था |

क्र. सं	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	K.C.C.BANK SHANTLA	20155003017	638775
2	K.C.C.BANK SHANTLA	50055942559	47380
3	K.C.C.BANK SHANTLA	500559442763	14883
4	K.C.C.BANK SHANTLA	500559442763	890
5	K.C.C.BANK SHANTLA	50056433947	3715
6	K.C.C.BANK SHANTLA	50050767136	51774
7	K.C.C.BANK SHANTLA	50050776205	54484
8	HGB PIRSALUHI	88081000013234	725
9	K.C.C.BANK RAKKAR	2004007438	438
10	K.C.C.BANK SHANTLA	50055942582	80
	TOTAL		**813144**
	CASH IN HAND		767
	GRAND TOTAL		**813911**

अन्तर = 813911 – 804561 = 9350

6 **निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था । अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार

करना सुनिश्चित किया जाये।

7 **पंचायत राजस्व की वसूली :-**

पंचायत सचिव अलोह **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹1600 वसूली हेतु शेष थी।

1. **गृहकर :**

वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**योग**	**प्राप्ति**	**वसूली हेतु शेष राशि**
2014-15	300	10000	10300	8800	1500
2015-16	1500	9900	11400	11225	175
2016-17	175	9800	9975	8375	1600

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था।अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया | अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

8 **अनुदान ₹5.61 लाख का उपयोग न करना ;-**

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹561164 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-**

ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत **द्वारा** प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं| चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय **द्वारा** राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विन्योज्न की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता| इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है|

10 **खंड विकास अधिकारी कार्यालय को वापिस की गई धनराशि ₹0.59 लाख की रसीदें प्राप्त न करना :--**

ग्राम पंचायत **द्वारा** खंड विकास अधिकारी कार्यालय को प्राप्त अनुदान ₹59200 निम्नानुसार वापिस लौटाई गई परन्तु खंड विकास अधिकारी कार्यालय से इस राशि की रसीदें प्राप्त नहीं की गई जिन्हें अब प्राप्त करके अनुपालना से अवगत करें|

वोउचर संख्या	मास	अनुदान का नाम	राशि
47	10/2015	VKVNY	49000
55	10/2015	TSC	10200
		योग	**59200**

11 **मुल्यांकन (Assessment) के बिना ₹1.21 लाख का अनियमित भुगतान :-**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के **द्वारा** जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता के **मुल्यांकन (Assessment)** के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा| परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत **द्वारा** ₹120558 का भुगतान **मुल्यांकन (Assessment** के बिना किया गया | अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए **मुल्यांकन (Assessment** के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए|

बा. सं. सामान्य रोकड़ बही	मास	कार्य का नाम	राशि
48	10/2015	निर्माण रास्ता SC बस्ती सरी सरोह	49528
49	10/2015	निर्माण रास्ता SC बस्ती सरी सरोह	8760
50	10/2015	निर्माण रास्ता SC बस्ती सरी सरोह	2288

94	2/2017	निर्माण सराए भवन अलोह	23885
95	2/2017	निर्माण सराए भवन अलोह	3017
MGNREGA			
27	9/2014	निर्माण कूहल किशोरीलाल के खेत से सडक तक	5350
29	9/2014	निर्माण कूहल पंजाब सिंह के खेत से हैंडपंप तक	8180
30	9/2014	निर्माण कूहल पंजाब सिंह के खेत से हैंडपंप तक	560
IWMP VI			
23	2/2017	निर्माण वर्षा जल संग्रहन टैंक राम सिंह, जीवन लाल,उधम सिंह	16860
24	2/2017	निर्माण वर्षा जल संग्रहन टैंक राम सिंह, जीवन लाल,उधम सिंह	2130
		योग	**120558**

12 निर्माण कार्यों को मापन पुस्तिकाओं में दर्ज किए बिना भुगतान

ग्राम पंचायत **द्वारा** 13वें वित्त आयोग से करवाए गये निर्माण कार्यों की प्रविष्टियों को मापन पुस्तिकाओं में दर्ज न करके मात्र अलग से एक पृष्ठ पर मूल्यांकन किया गया जो कि अनुचित है क्योंकि समस्त निर्माण कार्यों का मूल्यॉंकन मापन पुस्तिका में नियमानुसार दर्ज करना वांछित है| **13वें वित्त आयोग से करवाए गये निर्माण कार्यों की प्रविष्टियों को मापन पुस्तिकाओं में दर्ज न करने** के **निम्न उदाहरण है** | अत: 13वें वित्त आयोग से करवाए गये निर्माण कार्यों की प्रविष्टियों को मापन पुस्तिका में दर्ज करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए |

वाउचर संख्या	मास	निर्माण कार्य का नाम	राशि
32	9/2014	निर्माण कार्य शौचालय पंचायत भवन अलोह	15915

13 मनरेगा ASSET रजिस्टर का रख रखाव न करना :----

ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप 8 पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम हिमाचल प्रदेश के अधीन परिसम्पत्ति (अस्ति)रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है जिसका शीघ्र रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए |

14 रोकड़ वही तथा भुगतान वाउचर पर प्रधान के रबड़ मोहर हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन करवाना:--

जाँच में पाया गया की दिनांक 22-1-2016 तक रोकड़ वही तथा भुगतान वोउचरों पर श्री सोहन सिंह प्रधान के हस्ताक्षर के स्थान पर उनके रबड़ मोहर के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन करवाया गया जो कि अनुचित है अत: इस बारे नियमानुसार अवगत करवाया जाए |

15 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002

के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नि**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

16 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

17 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–2 **आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।**

18 निष्कर्ष :- लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है |

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)145/2017 खण्ड–1–503–506
दिनांक17.01.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत अलोह, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046